न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 203/2014

सायलान :-

1. सायरीदेवी पत्नी हापूराम
2. निहालराम पुत्र हापूराम

जातियान'बावरी, निवासीगण
पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण
जिला-पाली (राज0)

बनाम

गैरसायलान :-

1. मलाराम पुत्र हापूराम
2. पांचूराम पुत्र हापूराम फौत के
   कायम मुकामान :-
   2/1 सत्यनारायण पुत्र पांचूराम
   2/2 पेमाराम पुत्र पांचूराम
   2/3 किशनाराम पुत्र पांचूराम
3. बिरमाराम पुत्र भवंरु
4. भभूत पुत्र भवरु
5. हणुत पुत्र भवंरु

   जातियान-बावरी, निवासीगण
   पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण
   जिला-पाली (राज0)
6. तहसीलदार जैतारण
   तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:.25.11.2014

उपस्थितः- 1. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री देवाराम कटारिया, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 17/06/2015

वकील मय सायल ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि राजस्व मौजा-पिपलियाखुर्द पटवार हल्का-पिपलियाखुर्द, तहसील-जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान सभी एक ही पूर्वज प्रभुराम के वंशज हैं, जिनकी पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 165, 299, 300, 301, 302, 302/1, 354, 370, 389, 389/1, 403, कुल खसरा - 11 कुल रकबा 68-07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, चाही सोयम एवं गै.मु.बेरा की आई हुई हैं। उक्त वर्णित आराजी में सायलान एवं गैरसायलान संख्या एक व दो का 1/2 में से 1/2 यानि सायलान का 1/4 वां हिस्सा कुल आराजी में से हैं। इसी प्रकार गैरसायलान तीन से पांच का का 1/2 हिस्सा आता हैं। इसी माफिक हक व हिस्से अनुसार सायलान एवं गैरसायलान काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। इस उपर वर्णित खसरा नम्बरान की भूमि को प्रार्थना पत्र मे आगे विवादित भूमि के नाम से निर्दिष्ट किया जायेगा। नकल चालु जमाबंदी व नक्शा ट्रेश प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है। विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान की संयुक्त व शामलाती हैं, जिसका अभी तक बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ है। लेकिन सायलान व गैरसायलान की उक्त भूमि वर्षो से पूर्व ही आपसी सहमति से अलग-अलग बंटी हुई हैं। उसी माफिक सायलान व गैरसायलान काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर आधुनिक तरिके से काश्त करना चाहते हैं। इसलिए सायलान को अपने हक हिस्से की भूमि पर काली मिट्टी व खाद डालकर उपयोगी बनाना चाहते हैं। साथ ही सायलान अपने हक हिस्से की भूमि पर अपना बैंक से साख पत्र भी बनवाना चाह रहे हैं। लेकिन भूमि बंटवाडा को लेकर के आये दिन वाद विवाद व लडाई झगडा कर रहे हैं एवं कई बार मौके पर माठ की खडाई कर देते हैं, जिससे विवाद हो रहा है। सायलान अपने हक हिस्से की भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा करवाना चाह रहे हैं। इस बाबत सायलान ने गैरसायलान को इस विवादित भूमि का बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा के लिए कई बार निवेदन किया। लेकिन गेरसायलान द्वारा नहीं मानने व मौके पर बिना बंटवाडा करवाये ही संयुक्त व शामलाती भूमि पर जबरदस्ती रास्ते बंद कर पत्थर खडे कर तार खेचकर मन माफिक इच्छित स्थान को अपना होना बताकर के वहां पर विवाद करते हैं व बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के बंटवाडा कराने का कहने पर दिनांक 25/10/2014 को ऐसा बंटवाडा कराने से गैरसायलान ने स्पष्ट रुप से ईन्कार कर दिया एवं आराजी के बंटवाडा को लेकर के वाद विवाद भी कर रहे हैं। तब ऐसी विषम अवस्था में सायलान के पास प्रार्थना पत्र पेश करने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नही रहने से यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। विवादित भूमि सायलान व गैरसायलान की सयुक्त व शामलाती हैं, जिसका बाई मिटस एण्ड बाउण्डस के कोई बंटवाडा नहीं हुआ हैं। गैरसायलान बदमाश प्रवृति के व्यक्ति है। गैरसायलान मौके पर बिना बंटवाडा करवाये ही सायलान के हक हिस्से की भूमि पर पत्थर रोपकर तार बंदी करवा रहे हैं व माठे तोड रहे हैं एवं सायलान के हक हिस्से की कृषि भूमि में बाधा व अडचन पैदा कर रहे हैं तथा रास्ते पर कांटे डालकर सायलान के खेत में ट्रैक्टर जाने में अवरोध कर रहे हैं। इस प्रकार से गैरसायलान सायलान के खेतो में आवागमन के रास्ते को रोक रहे हैं तथा इस भूमि के विशिष्ट भू-भाग को अपना होना बताकर के सडक के पास वाली बहुपयोगी भूमि स्वयं अकेले ही हडप चाहते हैं। गैरसायलान की नियतबद्ध हैं। वह सायलान के हक हिस्से की भूमि भी स्वयं ही दबा कर अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। इसी नियत से आये दिन गैरसायलान वाद विवाद कर रहे हैं। सायलान कानून को मानने वाले शांत प्रवृति के व्यक्ति हैं। जिनके कब्जे काश्त में गैरसायलान जबरदस्ती बाधा व अडचन पैदा कर रहे हैं। गैरसायलान को सायलान व गांव के मौजिज व्यक्तियों द्वारा समझाने पर भी नही मान रहे है। ऐसी विषम परिस्थितियों में यदि गैरसायलान में जबरदस्ती लाठी लकडीयों के बल पर सायलान अपने खातेदारी अपना कब्जा कर लिया, तो सायलान को बेदखल कर शामलाती भूमि पर जबरदस्ती अपना कब्जा कर लिया, तो सायलान अपने खातेदारी भूमि का उपयोग करने से हमेशा हमेशा के लिये वंचित रह जायेगें तथा सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। गैरसायलान के ऐसे अवैध कृत्यों व निर्माण कार्य का विरोध करेगें, जिससे विवाद बढेगा व मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी, तब ऐसी विषम परिस्थितियों में सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं। समस्त तथ्यों परिस्थितियों व दस्तावेजात के आधार एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। यदि गैरसायलान जबरदस्ती सायलान के उपयोग एवं उपभोग में बाधा पैदा कर हस्तक्षेप व दखलन्दाजी कर रहे हैं। यदि गैरसायलान

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

ने ऐसा किया, तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नहीं हो सकेगी एवं होने वाली क्षति का मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता है। इसलिए सुविधा का संतुलन भी बखूबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है। तब यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द में पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। गै0सा0 के सम्मन तामील होकर प्राप्त हुए। गै0सा0 अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। सायलान राजस्व अभिलेख से खातेदार काश्तकार हैं। सायलान के कब्जे काश्त में गै0सा0 दखलन्दाजी करते हैं, तो सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति संभव नहीं हैं। प्रथम दृष्टया मामला सायलान के पक्ष में प्रतीत होता हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी सायलान के पक्ष में प्रतीत होता हैं।

–:: आदेश ::–

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि राजस्व मौजा–पिपलियाखुर्द पटवार हल्का–पिपलियाखुर्द, तहसील–जैतारण में सायलान एवं गैरसायलान सभी एक ही पूर्वज प्रभुराम के वंशज हैं, जिनकी पैतृक पुश्तैनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 165, 299, 300, 301, 302, 302/1, 354, 370, 389, 389/1, 403, कुल खसरा – 11 कुल रकबा 68–07 बीघा किस्म बारानी अव्वल, चाही सोयम एवं गै.मु.बेरा की भूमि में सायलान की हिस्से के कब्जे काश्त व उपभोग / उपयोग में कोई हस्तक्षेप व दखलन्दाजी नहीं करने हेतु गै0सा0 को जरिए अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के वाद निर्णय तक रोका जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 17/06/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–पिपलियाखुर्द पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner